

एक अध्ययन बालकों का मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी की प्रभावशीलता

बीज शब्द :

महामारी, मानवधिकार, किशोर न्याय, लॉक डाउन

ऐतिहासिक विवरणों के माध्यम से ज्ञात होता है कि मानव सभ्यताओं ने मानव जाति व मानव संस्कृति के इतिहास में अनेक अप्रत्याशित विभिषिकाओं का सामना किया है। वैश्विक स्तर पर अनेक बार आपदायें आईं जो मानव जाति के नियंत्रण से बाहर थीं पर मानव ने अपने विवेक, साहस तथा धैर्य से उन आपदाओं पर विजय प्राप्त की एवं अपने विकास रूपी चक्र को सदा गतिशील रखा। समय के साथ अपने सम्मुख उत्पन्न संकटों को चीरते हुए आगे बढ़ने का साहस मानव में मानव सभ्यता के मूल मंत्र 'संकल्प से सिद्धि' के भाव के साथ आता है। यह मूल मंत्र संदेश देता है कि मानव द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता उसकी पूर्ति सम्भव है।

भारत में वर्तमान की भाँति पूर्व में 1918 की स्पैनिश फ्लू नाम की महामारी का प्रभाव हमारे परिवेश में पड़ा। एक अनुमान के अनुसार स्पैनिश महामारी से देश में 1.8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी जो उस समय की आबादी का 6 प्रतिशत था। आज की इस वैश्विक महामारी की तुलना वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में स्पैनिश फ्लू से की गई है तथा यह भी कहा गया है कि पूर्व की भाँति मृत्यु दर वर्तमान में उतनी नहीं होगी क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता के कारण संसार भर में अनेक बदलाव हुए हैं।

कमल कान्तजोशी

शोध छात्र : राजनीति विज्ञान

राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर

विधि विरुद्ध बालकों के मानवधिकारों के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी की प्रभावशीलता

ऐतिहासिक विवरणों के माध्यम से ज्ञात होता है कि मानव सभ्यताओं ने मानव जाति व मानव संस्कृति के इतिहास में अनेक अप्रत्याशित विभिषिकाओं का सामना किया है। वैश्विक स्तर पर अनेक बार आपदायें आईं जो मानव जाति के नियंत्रण से बाहर थीं पर मानव ने अपने विवेक, साहस तथा धैर्य से उन आपदाओं पर विजय प्राप्त की एवं अपने विकास रूपी चक्र को सदा गतिशील रखा। समय के साथ अपने सम्मुख उत्पन्न संकटों को चीरते हुए आगे बढ़ने का साहस मानव में मानव सभ्यता के मूल मंत्र “संकल्प से सिद्धि” के भाव के साथ आता है। यह मूल मंत्र संदेश देता है कि मानव द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता उसकी पूर्ति सम्भव है।

भारत में वर्तमान की भाँति पूर्व में 1918 की स्पैनिश फ्लू नाम की महामारी का प्रभाव हमारे परिवेश में पड़ा। एक अनुमान के अनुसार स्पैनिश महामारी से देश में 1.8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी जो उस समय की आबादी का 6 प्रतिशत था। आज की इस वैश्विक महामारी की तुलना वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में स्पैनिश फ्लू से की गई है तथा यह भी कहा गया है कि पूर्व की भाँति मृत्यु दर वर्तमान में उतनी नहीं होगी क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता के कारण संसार भर में अनेक बदलाव हुए हैं।

बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में यदि हम विश्व पटल पर दृष्टि डालें तो सर्वप्रथम ‘लीग ऑफ नेशन्स’ ने 1924 में जेनेवा घोषणा पत्र के अंतर्गत बच्चों को अधिकार तत्व स्वास्थ्य, भोजन शोषण से मुक्ति आदि की उपलब्धता प्रदान की गयी। बाद के वर्षों में बच्चों के अधिकार संरक्षण हेतु मानवधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948, बीजिंग नियम 1985 तथा बाल अधिकार प्रसंविदा 1989 आदि ऐसे प्रपत्र हैं जिनमें बच्चों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत ने बाल अधिकार प्रसंविदा को 1992 में स्वीकारा तथा वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 इनका आधार है। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 39ई, 45 व 47 में वर्णित उद्देश्यों का परिपालन करना है जो बच्चों के सुखमय जीवन जीने हेतु आवश्यक है।

बच्चों को प्राप्त यह अधिकार किसी भी स्थिति में उनके सुखमय जीवन जीने हेतु आवश्यक हैं तथा उनको इन से विमुख नहीं किया जा सकता है।

उद्देश्य:- प्रस्तुत शोध पत्र का मूल ध्येय कोविड 19 महामारी

की प्रभावशीलता का विधि विरुद्ध बालकों के मानवधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा इसके परिप्रेक्ष्य में जनमानस को जानकारी प्रदान कराना है।

विधि:- प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय स्रोतों के माध्यम से तथ्यों का संकलन कर उसका वर्णनात्मक विश्लेषण किया गया है।

परिकल्पना:- महामारी के दौर में भी विधि विरुद्ध बालकों के मानवधिकारों का संरक्षण सम्भव है।

प्रस्तुत शोध पत्र को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है -

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
2. किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप विधि विरुद्ध बालकों के मानवधिकार कोविड के दौर में।
3. कोविड 19 महामारी के दौर में न्यायालय द्वारा निर्देशित दिशा निर्देश विधि विरुद्ध बालकों के परिप्रेक्ष्य में।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:- कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक विश्व में यह कोई प्रथम महामारी नहीं इससे पूर्व 1918-1920 में स्पैनिश फ्लू, 1957 में एशियाई फ्लू ने कई देशों में अपने आप को स्थापित किया, 1968 में हॉन्ग कॉन्ग फ्लू ने कहर बरपाया, 2002 में सार्स वायरस तो 2009 में एस1एन1 फ्लू की महामारी फैली और वर्ष 2016-2018 के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस ने अपना प्रकोप दिखाया। ये समस्त महामारी आज की महामारी की भाँति भौगोलिक दायरे में नहीं फैली थी इसलिए अन्य महामारियों से कोविड 19 महामारी कुछ अलग है क्योंकि विश्व के समस्त देशों में यह फैली। पूर्व की अन्य महामारियों का भौगोलिक क्षेत्र का दायरा इतना व्यापक नहीं था, उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अपना कहर बरपाया तथा इसके बाद विश्व परिदृश्य में परिवर्तन हुआ। आने वाले कल में कोविड 19 महामारी के बाद अनेक परिवर्तन समाज में होंगे तथा इतिहासकार उसकी प्रभावशीलता के लिए उसे याद करेंगे।

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस कोई साजिश का परिणाम नहीं बल्कि यह प्राकृतिक वायरस है। ‘नेचर मैगजीन’ में क्रिस्टियान एंडरसन के पब्लिश रिसर्च पेपर में इस वायरस के प्राकृतिक होने की बात कही गयी है तथा वुहान शहर के प्राफेसर शी झंगली की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा 28 गुफाओं में जाकर चमगादड़ों का मल एकत्रित कर चमगादड़ों के वायरसों का पूरा आर्काइव तैयार किया जिसमें

कोरोना वायरस का जिक्र किया गया था जो हॉर्सजू प्रजाति के चमगादड़ों में पाया गया था। प्राफेसर शी झोंगली ने चीन में इस वायरस के संक्रमण फैलने के बाद वायरस का बायोस्ट्रक्चर तैयार किया और उसे पब्लिश किया इस आधार पर चीन ने कोरोना वायरस के टीके बनाने की अनुसंधान प्रक्रिया प्रारम्भ की तथा वैश्विक स्तर पर टीके पर कार्य प्रारम्भ हो गया। वर्ष 2020 के अंत में वैश्विक स्तर पर अनेक देशों ने टीकाकरण पर कार्य प्रारम्भ किया। भारत में भी 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण प्रारम्भ हुआ जो अपने आप में इस वायरस के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण प्रारम्भ हो गया।

2. किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप विधि विरुद्ध बालकों के मानवधिकार कोविड के दौर में- किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(13) के अनुसार विधि विरुद्ध बालकों की संज्ञा उन्हें दी गयी है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

धरातल पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव अपनी जीवन यात्रा को प्रारम्भ एक अबोध शिशु के रूप में करता है। आज के बच्चे कल का भविष्य है इस आधार पर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना समाज का केन्द्रीय दायित्व बन जाता है क्योंकि बच्चे अपनी उपेक्षा और पीड़ा को ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं और प्रौढ़ भी बच्चे समझकर उनकी भावनाओं को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि दिया जाना चाहिए यही से बच्चों के अधिकारों का हनन होना प्रारम्भ हो जाता है।

विधि विरुद्ध बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की बात करे तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 10 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई कानून विरुद्ध कार्य किया है, ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेने के 24 घण्टे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12 के अनुसार न्यायिक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद बच्चों को जमानत पर छोड़कर घर भेजने का प्रावधान भी है। यदि जमानत नहीं दी जाती है तो बच्चे को संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है तथा वहीं पर उसकी काउंसलिंग व उचित परामर्श के साथ आगे की कार्यवाही की जाती है तथा किशोर न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 3 के अंतर्गत विधि विरुद्ध बच्चों के मानवधिकार संरक्षण हेतु 16 सिद्धान्त जो

कोविड 19 महामारी के दौर में उनके हित संवर्धन हेतु आवश्यक है, उनका वर्णन इस प्रकार है -

निदोषिता की अवधारण का सिद्धान्त- इसके अंतर्गत 18 साल के व्यक्ति, जिसे यह कानून बच्चा मानता है को आपराधिक आशय का दोषी नहीं माना जाएगा। **गरिमा व योग्यता का सिद्धान्त-** इसके अंतर्गत सभी मनुष्यों के साथ गरिमापूर्ण व अधिकारों में समान बर्ताव किया जाना चाहिए। **भाग लेने (सहभागिता) का सिद्धान्त-** इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को अपनी बात कहने व उसके सुने जाने का व उसके हितों को प्रभावित करने वाली हर प्रक्रिया व निर्णयों में सहभागी होने का अधिकार प्राप्त है।

सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त- इसके अंतर्गत बच्चों से सम्बंधित हर प्रक्रिया इस सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए। यह प्रक्रिया बच्चों के सबसे ज्यादा हित में है और बेहदारी के लिए है।

कौटुम्बिक जिम्मेदारी का सिद्धान्त- इसके अंतर्गत बच्चे की देखरेख, उसके पोषण व उसकी सुरक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके परिजन-परिवार की है।

सुरक्षा का सिद्धान्त- इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा सुरक्षित रहें। देखरेख व संरक्षण की प्रक्रिया में रहते हुए तथा उसके बाद भी उसे हानि नहीं पहुंचे, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो तथा बुरा बर्ताव नहीं किया जाए। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जाएँ।

गैर- कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धान्त- इसके अंतर्गत बच्चों के सम्बन्ध में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो उन्हें अभियोगी बताते हो या उनके प्रतिकूल हो। अधिकारों का त्याग नहीं किये जाने का सिद्धान्त इसके अंतर्गत बच्चों के अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं किया जाएगा इसका प्रावधान है।

समानता का विभेद नहीं किये जाने का सिद्धान्त इसके अंतर्गत किसी भी बच्चे के खिलाफ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा व हर बच्चे को पहुँच, अवसर व बर्ताव में समानता का हक प्राप्त है।

एकांत व गोपनीयता का अधिकार सिद्धान्त इसके अंतर्गत हर बच्चे को सभी तरीकों से पूरी न्यायिक प्रक्रिया में निजता व गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

संस्थागत संरक्षण का सिद्धान्त यानी हर बच्चे को प्रकरण में जाँच के बाद बिना किसी देरी के संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा।

परिवार, कुटुम्ब, समुदाय में फिर से मिलने-बसने का अधि

कार यानी किशोर न्यायिक प्रक्रिया में हर बच्चे को जल्दी से जल्दी अपने परिवार कुटुम्ब में फिर से मिलने व उसी सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में फिर से जाने, पुनः बसने का अधिकार प्राप्त है।

नये सिरे से शुरूआत करने का सिद्धान्त यानी कानून के तहत कुछ परिस्थितियों को छोड़ कर, बच्चे के प्रकरण से सम्बन्धित पिछले सभी कागज, अभिलेख नष्ट कर दिए जाने का अधिकार प्राप्त है।

सकारात्मक उपाय का सिद्धान्त इसके अंतर्गत बच्चों के कल्याण को प्रोन्नति, पहचान के विकास और असुरक्षा कम करने के लिए समावेशित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए परिवार और समुदाय को गतिमान किया जाना चाहिए।

अपयोजन का अधिकार यानी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से सम्बन्धित कार्यवाहियों को अविलम्ब निपटारा जाना चाहिए।

नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त यानी सभी व्यक्तियों के लिए न्यायोजित व निष्पक्ष प्रक्रिया के मानकों का (जैसे उचित सुनवाई, निष्पक्षता, समीक्षा आदि) पालन हो।

किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान बच्चों के हित संवर्धन हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं।

नियम 30- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान बच्चों को कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन के सामान आदि की उपलब्धता का प्रावधान है।

नियम 31- इस नियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में स्वच्छता व सफाई की उपलब्धता प्राप्त होगी।

नियम 32(2)- इस नियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों के जीवन को अनुशासित बनाने हेतु राजकीय सम्प्रेक्षण गृह की **दिनचर्या में रोजमर्रा की क्रियाओं के अन्तर्गत-** निजी स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा आदि हेतु विशेष कार्यक्रम होने चाहिए।

नियम 33- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों को पोषण व और आहार मानक का उल्लेख किया गया है। नियम 33(8) खण्ड (iv) के अनुसार अस्वस्थ बच्चों को विशेष चिकित्सा भोजन तथा नियम 33(8) खण्ड (पअ) में उल्लेख किया गया है कि छुट्टी और त्यौहार के दिनों में बच्चों को विशेष भोजन देने का प्रावधान है।

नियम 34- इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने

के दौरान बच्चों को **चिकित्सा व्यवस्था** की सुविधा प्राप्ति का अधिकार है।

नियम 35(5)- इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रशिक्षित सलाहकारों की सेवाएं मनोवैज्ञानिक आंकलन और रोग निदान के लिए प्राप्त होगी।

नियम 36(1)- इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बच्चे की आयु और क्षमता के अनुसार **शिक्षा प्राप्ति** का अधिकार प्राप्त है।

नियम 37(1)- इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बच्चों को उनकी आयु, रुचि, क्षमता व योग्यता अनुसार **व्यावसायिक प्रशिक्षण** की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है।

नियम 38(1)- इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान बच्चों के मानसिक, बौद्धिक व शारीरिक विकास हेतु योग, ध्यान, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक हेतु बाहर जाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम, बगीचे की देखरेख, पुस्तकालय, डांस आदि की व्यवस्था का अधिकार प्राप्त है।

नियम 74(1)- इस नियम के अंतर्गत बच्चों के अभिभावकों को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बच्चों के रहने के दौरान सप्ताह में एक बार **मिलने का अधिकार** प्राप्त है।

नियम 78 - यह नियम राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के **खुलापन व पारदर्शिता** को रेखांकित करता है।

नियम 78(1)- प्रत्येक नागरिक जो स्वैच्छिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसंधानकर्ता और शिक्षक है वे अध्ययन हेतु किशोर न्याय बोर्ड या प्रभारी व्यक्ति की अनुमति से यहाँ पर आ सकता है।

3- कोविड 19 महामारी के दौर में न्यायालय द्वारा निर्देशित दिशा निर्देश विधि विरुद्ध बालकों के परिप्रेक्ष्य में:-

बच्चे किसी भी देश के भविष्य निर्धारक तत्व है। उनके मानवधिकारों के संरक्षण हेतु वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कानूनों व अनेक समझौते राष्ट्रों के मध्य समय-समय पर होते रहते हैं, इसके अतिरिक्त बच्चों के अधिकार संरक्षण हेतु देश की न्यायिक प्रणाली द्वारा विशेष परिस्थितियों में या आवश्यकता अनुसार स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार से बच्चों के हितों का संवर्धन किया जाए।

21वीं सदी की इस **वैश्विक महामारी के दौर** में न्यायालय ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बाल देखरेख संस्थाओं तथा विधि विरुद्ध बच्चों के **सर्वोत्तम हितों** तथा **किशोर न्याय** की अवधारणा को साकार करने हेतु इस प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसका विवरण इस प्रकार है -

देश में वैश्विक महामारी को मदेनजर रखते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल तक 1 चरण का लॉक डाउन घोषित किया गया था। 3 अप्रैल 2020 कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बाल देखभाल संस्थाओं में भीड़ कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता की खण्ड पीठ ने बाल संरक्षण गृहों की दशा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालयों को निर्देश दिया:- वे उन बच्चों को अस्थायी जमानत पर रिहा करने पर विचार करें, जो कानून के साथ संघर्ष के चलते इन गृहों में रखे गए हैं तथा जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12 के अंतर्गत आते हों। इसके अतिरिक्त पीठ द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं में सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।

न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रमुख दिशा निर्देश:- जिन बच्चों को उनके परिजनों के पास भेजा जा रहा है, उनके मामलों में दूरभाष के माध्यम से बाल कल्याण समितियों द्वारा निगरानी की जाए व जिला बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से समन्वय भी किया जाए।

किशोर न्याय बोर्ड व बाल न्यायालयों द्वारा बच्चों से सम्बंधित तथ्यांक तथा बच्चों से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने हेतु ऑनलाइन वीडियो सेशन के माध्यम से सुनवाई की जाए।

बाल देखरेख संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों द्वारा कार्य अवधि के दौरान किसी प्रकार की चूक होने पर किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 66(1) के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाए।

संस्थाओं में रखे गए बच्चों की नियमित जांच की जाए और हेल्थ रफ़ेरेल सिस्टम का पालन किया जाए।

सीसीआई सकारात्मक स्वच्छता व्यवहारों के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन के लिए आवश्यक कदम उठाएँ और उनको अपनाए जा रहा है या नहीं इसकी निगरानी की जाए।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता की खण्ड पीठ द्वारा व्यक्त विचार

“ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है, परन्तु उनको इन होम में रखा गया है। वहीं कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों को भी विभिन्न प्रकार के होम में रखा जाता है। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें पालक और रिश्तेदारी की देखभाल में रखा जाता है। इन परिस्थितियों में, यह महसूस किया गया है कि इन बच्चों के हित पर ध्यान दिया जाना चाहिए”।

जमानत पर रिहा बच्चों की शिक्षा हेतु न्यायालय निर्णय -15 दिसम्बर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, हेमन्त गुप्ता व अजय रस्तोगी की पीठ ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि उनके द्वारा कोविड महामारी के दौरान परिवारों को सौंपे गए बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए हर माह 2 हजार रुपये प्रदान किए जाएं।

न्यायालय द्वारा दिया गया यह आदेश बच्चों के शिक्षा के अधिकार प्राप्ति में सहायक का कार्य करेगा जिससे ज्ञानवान जीवन की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है तथा एक सुखमय व गरिमामय जीवन की अभिलाषा की जा सकती है, जिससे समाज विरोधी कार्य करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में आसानी से लाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत दण्ड से स्पष्ट होता है कि देश में प्रथम लॉकडाउन से पूर्व कितने बच्चे बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे थे व कितनों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया।

निष्कर्ष:- 21 वीं सदी की इस वैश्विक महामारी के दौरान न्यायालय ने बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे विधि विरुद्ध बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर स्थापित कानूनों व अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के उचित क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जो मानव अधिकार संरक्षण हेतु आवश्यक था, जिसके अंतर्गत बच्चों से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने हेतु ऑनलाइन वीडियो सेशन के माध्यम से सुनवाई का प्रावधान किया गया, बाल देखरेख संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों द्वारा कार्य अवधि के दौरान किसी प्रकार की चूक होने पर किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 66(1) के अनुसार सख्त कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया तथा अन्य बिन्दुओं के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्तम हित हेतु अनेक दिशा निर्देश न्यायालय द्वारा दिए गये जो मानव अधिकार संरक्षण में सहायक हैं।

संदर्भ ग्रन्थ :

- 1- मिश्रा. डॉ. महेन्द्र कुमार, 2008, भारत में मानव अधिकार, आत्म राम एण्ड सन्स, जयपुर।
- 2- सिंह, डॉ. संजय, 2010, मानवाधिकार और दलित, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- 3- भसीन अनीश, 2011, जानिए मानव अधिकारों को, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- 4- <https://www.nhrc.nic.in>
- 5- <https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/consider-releasing-children-from-observation-homes-on-interim-bail-amid-covid-19-sc-directs-jjbs-childrens-courts-154771>
- 6- <https://www.amarujala.com/india-news/sc-directs-states-to-provide-rs-2000-per-month-to-children-of-care-institutions>
- 7- <https://m.jagran.com/world/china-when-and-where-coronavirus-generate-know-more-the-expert-view-jagran-special-20207467.html>
- 8- <https://www.orfonline.org/hindi/research/what-will-the-world-be-like-after-the-coronavirus-epidemic-64599/?amp>

